राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक
45/17	20.12.2017	18.09.2018

अनुवान

1. सावत्री देवी पत्नी स्व0 श्री रामावतार जाति अहीर निवासी चकोलिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर,राज0।

:–प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरियें भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

1. सरजीत सिंह चौधरी वकील–प्रार्थीया

–:: निर्णय::–

दिनांक:– 18.09.2018

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थिया के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 436/388/0.63 है0 वाके ग्राम चकोलिया तहसील मुण्डावर में स्थित होकर आराजी ख0न0 388 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम चकोलिया रहा है जिसमें से 1/2 भाग मिन प्रार्थीया का कब्जेकाश्त खातेदारी का रहा है तथा 1/2 भाग सुरेन्द्र पुत्र शीशराम का रहा है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का जर्ये विभाजन पत्र विभाजन करा लिया। जिस विभाजन में ख0न0 435/388 रकबा 0.63 है0 सुरेन्द्र पुत्र शीशराम के हिस्से व 436/388 रकबा 0.63 है0 मिन प्रार्थिया के हिस्से आया। विभाजन पत्र के आधार पर जमाबंदी संवत 2064–67 में अंकन दर्ज हो गया तथा मौका पर भी मिन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रार्थिया हिस्से आयी आराजी पर काबिज है तथा प्रार्थिया ने ईंट भट्टा हेतु उक्त आराजी ख0न0 436/388 रकबा 0.63 व ख0न0 385 रकबा 1.01 में से 4393.37 वर्ग मीटर आराजी दिनांक 26.10.2010 को संपरिवर्तन करा लिया। जिस संपरिर्वतन का इंतकाल 870 दिनांक 21.01.2011 को दर्ज हो गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी संवत 2068–71 बनाते समय ख0न0 436/388/0.63 है0 को खिलाफ मौका व खिलाफ कानून ख0न0 485/388 रकबा 0.63 है0 दर्ज कर दिया। जबकि ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 दर्ज करना चाहिए था। उक्त गलत अंकन के कारण प्रार्थिया को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया का निवेदन करते हुए मिन प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 485/388 रकबा 0.63 के स्थान पर ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 जर्ये शुद्धि पत्र के शुद्ध किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किये जाने उपरांत जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। मुताबिक जवाब ख0न0 436/388 जर्ये इंतकाल नम्बर 836 निर्णय दिनांक 02.08.2010 से विभाजित होकर कायम हुआ था। जबकि विभाजन करते वक्त ख0न0 388 का नया नम्बर 388/1 व 388/2 विभाजित होना चाहिए था जो सहवन से जमाबंदी के अंतिम नम्बर में 1 जोडते हुये नया नम्बर कायम कर दिया गया। इसके बाद जमाबंदी चौशाला बनाते वक्त अपना खाता सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमैटिक अग्रिम नम्बर चुना गया। इस कारण 436/388 का नम्बर चौशाला बनाते वक्त अपना खाता सॉफ्टवेयर ने 485/388 चुना जो मुताबिक सॉफ्टवेयर सही है का पेश किया है।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सावित्री देवी पीडब्ल्यू–1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बंटवारानामा 26.07.2010 किता 5 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 7275 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–4 एवं संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26.10.2010 की छायाप्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
...वर (अलवर) राज...

Scanned by CamScanner

प्रार्थिया ख0न0 388 के 1/2 भाग की खातेदार रही है तथा जर्ये विभाजन पत्र ख0न0 435/388 रकबा 0.63 है0 का सुरेन्द्र पुत्र शीशराम एवं ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 मिन प्रार्थिया के हिस्से आया। उक्तानुसार ही इंतकाल संख्या 836 दर्ज व स्वीकार हो चुका। इसी विभाजन पत्रानुसार जमाबंदी संवत 2064–67 में अंकन दर्ज हुआ तथा प्रार्थिया ने ईंट भट्टा हेतु उक्तानुसार ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 व ख0न0 385/1.01 है0 में से 4393.37 वर्गमीटर आराजी दिनांक 26.10.2010 को संपरिवर्तन करा लिया जिसका भी संपरिवर्तन का इंतकाल संख्या 870 दिनांक 21.01.2011 को दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 485/388 रकबा 0.63 के स्थान पर ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चकोलिया तहसील मुण्डावर हाल रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी ख0न0 485/388 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चकोलिया तहसील मुण्डावर के बजाय ख0न0 436/388 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चकोलिया शुद्ध किये जाने बाबत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner